संख्या–3002 / सोलह–प्रा0शि0–3–2010–15(3) / 2009

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक 30 जून,2010

विषयः– प्राविधिक शिक्षा विभाग की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में सावित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उददेश्य से प्राविधिक शिक्षा विभाग की डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थाओं में सावित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना शैक्षणिक सत्र 2010–11 के प्रथम वर्ष की छात्राओं पर लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

1– संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजकीय पालीटेक्निकों में प्रवेश लेने वाली छात्रायें ही इस योजना में लाभान्वित होने हेतु आवेदन पत्र दे सकेंगी।

2– जो छात्रायें पूर्व में– इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्री बाई फूले योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं, उन्हें इस योजना का दुबारा लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

3– प्रश्नगत योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक परिवारों के साथ–साथ अन्त्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की पात्र लाभार्थी छात्राओं को भी सम्मिलित किया जायेगा क्योंकि अन्त्योदय श्रेणी के कार्ड धारक परिवारों की आय बी0पी0एल0 श्रेणी कार्डधारक परिवारों की न्यूनतम आय से आरम्भ होती है।

4– छात्रा अविवाहित हो।

5– इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली साइकिल तथा धनराशि की सुविधा छात्राओं को पूर्व से मिलने वाली अन्य सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति आदि के अतिरिक्त होगी।

–––2/–

master hansu 2010

6— पात्र छात्राओं का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा सदस्य, संबंधित तहसील के एस0डी0एम0/उप जिलाधिकारी सदस्य तथा संबंधित राजकीय पालीटेक्निकों के प्रधानाचार्य सदस्य सचिव होगें।

7— इस समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी तथा बैठक की तिथि से ठीक पहले तक इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों पर समिति विचार करेगी तथा पात्र छात्राओं का चयन करेगी। समिति द्वारा चयनित पात्र छात्राओं को साइकिल समिति के निर्णय के 20 दिनों के अंदर संबंधित राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा अनुमन्य धनराशि भी बैठक में लिये गये निर्णय के 20 दिनों के अंदर संबंधित छात्रा के बैंक खाते में संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा अन्तरित करा दी जायेगी। साइकिल दिये जाने के समय फोटोग्राफी कराकर प्रमाण के रूप में संबंधित राजकीय पालीटेक्निकों में रखी जायेगी।

8— पात्र छात्राओं के लिए साइकिल का क्रय जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ही नियमानुसार स्टोर परचेज रूल्स के अनुसार अथवा रेट कान्ट्रैक्ट पर किया जायेगा।

9— तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए इस कल्याणकारी योजना से कोई भी पात्र छात्रा वंचित न रह जाय, यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का व्यापक प्रचार/प्रसार कराया जायेगा। इस योजना को पूर्णतया पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी तथा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्राप्त होने वाले आवेदनपत्रों पर पात्रता के अनुसार समिति द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के दिसम्बर माह की अंतिम तिथि (31 दिसम्बर) तक निर्णय ले लिया जायेगा। संबंधित शैक्षणिक सत्र के जनवरी माह की विलम्बतम 20 तारीख (20 जनवरी) तक संबंधित छात्रा को साइकिल उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अनुमन्य धनराशि छात्रा के बैंक खाते में अंतरित करना समिति की जिम्मेदारी होगी।

10— संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश के समय ही छात्राओं को इस योजना से अवगत करायेगे तथा पात्र छात्राओं का. चिन्हांकन करके उसका आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर प्राप्त करेगें।

———3/—

master hansu 2010

11– इस योजना के अंतर्गत एक वर्षीय पाठयक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को एक साइकिल एव रू0 10,000/–, दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल तथा द्वितीय वर्ष में रू0 15,000/– तथा तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रथम वर्ष में एक साइकिल, द्वितीय वर्ष में रू0 10,000/– तथा तृतीय वर्ष में रू0 15,000/– की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2– ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–11–1400/दस–2010 दिनांक 29 जून,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक)
3– समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा। (द्वारा निदेशक)
4– समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक। (द्वारा निदेशक)
5– सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद/प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ
6– निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश कानपुर।
7– निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश लखनऊ को योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।
8– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11
9– नियोजन अनुभाग–4
10– गोपन अनुभाग–1
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

master hansu 2010

सावित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

छात्रा का प्रमाणित फोटो

1– छात्रा का नाम –
2– माता/पिता का नाम –
3– (क) छात्रा का स्थाई पता –

(ख) पत्र व्यवहार का पता
4– जन्म तिथि
5– छात्रा विवाहित /अविवाहित –
6– (क) हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष –
(ख) इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष–
7– राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम व खाता संख्या –
8– प्रवेशित संस्था का नाम –
9– इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्री बाई फूले योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं अथवा नहीं — हॉ/नहीं
10– बी0पी0एल0 /अन्त्योदय कार्ड नम्बर – (प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)
11– अभिवाहक (माता /पिता) का व्यवसाय–

(क) कार्यरत स्थान का पता
12– परिवार की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय

घोषणा

मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें एवं विवरण मेरे संज्ञान में सत्य है।

(प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गयी जानकारी सत्य है। यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती है, तो मेरे पाल्य का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाय इसके लिए मुझे कोई आपत्ति न होगी।

(माता/पिता /अभिवाहक के हस्ताक्षर)

मैं घोषणा करता हूँ कि छात्रा/अभिभावक द्वारा दी गयी सूचना सत्य है। आवेदन पत्र में सूचना गलत पायी जाने पर इनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाय।

(प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के हस्ताक्षर)
मुहर सहित